न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूँगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 10 / 2021
जीसीएमएस न.:– 2020 / 00036
प्रविष्टि दिनांकः– 05.10.2021
निर्णय दिनांक :– 05.03.2025

::–उनवान–::

1. *भूरालाल पिता रूपा खॉट निवासी दीवडा छोटा तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर*
2. *कालिया पिता रूपा खॉट निवासी दीवडा छोटा तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर*
3. *लाला पिता रूपा खॉट निवासी दीवडा छोटा तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर*
4. *शिवा पिता रूपा खॉट निवासी दीवडा छोटा तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर*
5. *सविता पिता रूपा खॉट निवासी दीवडा छोटा तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर*

अपीलांट

बनाम

1. *अमरजी पिता कचरू भील निवासी दीवडा छोटा तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर*
   1/1 धुलेश्वर पिता अमरजी
   1/2 हरीश पिता अमरजी
2. *कचरी पत्नि अमरजी भील निवासी दीवडा छोटा तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर*
3. *राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर।*

– रेस्पोडेन्ट

अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम,1970

उपस्थिति :

(1) श्री दिनेश चौबिसा, अभीभाषक अपीलांट।
(2) श्री नगीन पटेल, अभीभाषक रेस्पोडेन्ट।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

न्यायालय अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी :–श्री दिनेश धाकड़ (आर.ए.एस.)
मु.नं. –10/2021
अपील अन्तर्गत धारा 14(4) एल.आर.एक्ट 1970
उनवान–भुरालाल बनाम अमरजी

::–निर्णय–::

दिनांक: 05.03.2025

1. अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अपील प्रार्थना पत्र अ०नियम 14(4) राज0 भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम,1970 पेश प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर–4764,5901,5916,5921 रकबा 0.03881स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का रकबा दो बीघा से भी अधिक भूमि पर काश्त व कब्जा करीब साठ वर्ष से भी अधिक समय से अपने पिता के पिता के जीवनकाल से निरन्तर बेरोकटोक अभी तक बना हुआ है। प्रार्थीगण की बिना जानकारी विपक्षी संख्या एक व दो को खसरा संख्या 5915 की भूमि में से रकबा एक बीघा दस बिस्वा भूमि का ऑवटन दिनांक 06.12.2010 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, सागवाडा के द्वारा मिसल संख्या 285 दिनांक 06.12.2010 को की गई है। जबकि इस खसरा संख्या 5915 रकबा दो बीघा से भी अधिक भूमि पर अभी भी प्रार्थीगण का कब्जा बना हुआ है। इस पर निरन्तर अभी तक काश्त कर रहे है तथा उसका उपयोग उपभोग भी प्रार्थीगण ही कर रहे है। यह कि उपखण्ड अधिकारी महोदय, सागवाडा को ऑवटन हेतु आवेदपत्र प्रस्तुत करना,एवं ऑवटन कमेटी के आदेश संख्या राजस्व/ऑवटन/सनद/180–182 दिनांक 07.02.2011 एवं नामान्तकरण संख्या 1832 दिनांक 03.04.2011 से प्रकट होता है कि को अलोटमेन्ट कमेटी द्वारा गलत रूप से पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के व गलत तथ्यों के आधार पर आवंटन कर दी गई।

विपक्षीगण को भूमि ऑवटित करने के पूर्व न तो ऑवटित की जाने वाली भूमि को सेट अपार्ट किया गया और इसके संबध में जन विज्ञप्ति प्रसारित नहीं की गयी है। एलोटमेन्ट करने से पूर्व आम नागरिको की आपत्ति होने की सुचना नहीं मांगी गयी है।

यह कि आवटन सलाहकार समिति के द्वारा नियम 13(4) की पालना नही की गई है और बैठक समाप्त होने के पूर्व की गयी कार्यवाही का विवरण भी अकिंत नही किया गया है और ऑवटन आदेश के साथ में नक्षा ट्रेस की प्रतिलिपि भी साथ में प्रदान नहीं की गयी है। इस प्रकार नियम 15(2) की भी पालना नहीं की गयी है।

यह कि प्रार्थीगण को प्रथम बार इसकी जानकारी विपक्षी संख्या एक व दो द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की उक्त भूमि पर अगस्त 2021 के प्रथम सप्ताह में काश्त करने आने पर उनके द्वारा जानकारी दी गई कि इस भूमि का ऑवटन उनके नाम पर किया गया है। इसके पश्चात प्रार्थीगण ने राजस्व रिकार्ड की जानकारी प्राप्त की । जिस पर प्रार्थीगण को नामान्तकरण संख्या 1832 एवं 2107 की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर हुई। इस पर प्रार्थीगण बिना किसी प्रकार की देरी के यह प्रार्थनापत्र अपील प्रस्तुत किया गया है।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 06.12.2010 ग्राम दीवडा छोटा तहसील सागवाडा जो आराजी खसरा नम्बर 5915 मे से खसरा संख्या 6916/5915 रकबा 1.00 बीघा दस बिस्वा का आंवटन विपक्षी संख्या एक व दो को किया गया है को निरस्त फरमाया जावे।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र का रेस्पोडेण्ट द्वारा जवाब पेश किया जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 जो आवंटन किया गया है वह नियमानुसार है। आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त आवंटन के समय से लगातार आज दिनांक तक रहा है। आवंटी द्वारा इस भूमि से उडद, बाजरी, आदि के फसल काश्त की जाती रही है। आवंटी द्वारा आवंटीत भूमि को काफी श्रम व्यय कर समतल किया है। आवंटन नियम विरूद्व नहीं किया गया है। उक्त भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण का कभी कब्जा नहीं रहा है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा समस्त ग्रामवासियों की मौजूदगी में कैम्प में किया गया है। आवंटी को नियमानुसार गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार भी मिल चुके है। आवंटन की जानकारी अपीलाण्ट के आवंटन के समय से रहीं हैं। उक्त भूमि आवंटी को वर्ष 2010 में आवंटीत कि गयी है और अब इतने लम्बे समय बाद अपीलाण्ट द्वारा यह अपील बेवजह आवंटी को हैरान परेशान करने कि दृष्टि से की है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

3 **हमने अपील प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सूनी।**

4. **अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में जवाब के कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया कि** आराजी खसरा नम्बर–4764,5901,5916,5921 रकबा 0.03881 स्थित है, जिस पर प्रार्थीगण का रकबा दो बीघा से भी अधिक भूमि पर काश्त व कब्जा करीब साठ वर्ष से भी अधिक समय से अपने पिता के पिता के जीवनकाल से निरन्तर बेरोकटोक अभी तक बना हुआ है। प्रार्थीगण की बिना जानकारी विपक्षी संख्या एक व दो को खसरा संख्या 5915 की भूमि में से रकबा एक बीघा दस बिस्वा भूमि का ऑवटन दिनांक 06.12.2010 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, सागवाडा के द्वारा मिसल संख्या 285 दिनांक 06.12.2010 को की गई, जबकि इस खसरा संख्या 5915 रकबा दो बीघा से भी अधिक भूमि पर अभी भी प्रार्थीगण का कब्जा बना हुआ है। इस पर निरन्तर अभी तक काश्त कर रहे है तथा उसका उपयोग उपभोग भी प्रार्थीगण ही कर रहे है। यह कि उपखण्ड अधिकारी महोदय, सागवाडा को ऑवटन हेतु आवेदपत्र प्रस्तुत करना,एवं ऑवटन कमेटी के आदेश संख्या राजस्व/ऑवटन/सनद/180–182 दिनांक 07.02.2011 एवं नामान्तकरण संख्या 1832 दिनांक 03.04.2011 से प्रकट होता है कि को अलोटमेन्ट कमेटी द्वारा गलत रूप से पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के व गलत तथ्यों के आधार पर आवंटन कर दी गई।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

बहस में आगे निवेदन किया कि आवटन सलाहकार समिति के द्वारा नियम 13(4) की पालना नही की गई है और बैठक समाप्त होने के पूर्व की गयी कार्यवाही का विवरण भी अकिंत नही किया गया है और ऑवटन आदेश के साथ में नक्षा ट्रेस की प्रतिलिपि भी साथ में प्रदान नहीं की गयी है। इस प्रकार नियम 15(2) की भी पालना नहीं की गयी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 06.12.2010 ग्राम दीवडा छोटा तहसील सागवाडा जो आराजी खसरा नम्बर 5915 मे से खसरा संख्या 6916/5915 रकबा 1.00 बीघा दस बिस्वा का आंवटन विपक्षी संख्या एक व दो को किया गया है को निरस्त फरमाया जावे।

5. **रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में जवाब के कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया कि** रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 जो आवंटन किया गया है वह नियमानुसार है। आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त आवंटन के समय से लगातार आज दिनांक तक रहा है। आवंटी द्वारा इस भूमि से उडद, बाजरी, आदि के फसल काश्त की जाती रही है। आवंटी आवंटीत भूमि को काफी श्रम व्यय कर समतल किया है। आवंटन नियम विरूद्व नहीं किया गया है। उक्त भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण का कभी कब्जा नहीं रहा है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा समस्त ग्रामवासियों की मौजूदगी में कैम्प में किया गया है। आवंटी को नियमानुसार गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार भी मिल चुके है। आवंटन की जानकारी अपीलाण्ट के आवंटन के समय से रहीं हैं। उक्त भूमि आवंटी को वर्ष 2010 में आवंटीत कि गयी है और अब इतने लम्बे समय बाद अपीलाण्ट द्वारा यह अपील बेवजह आवंटी को हैरान परेशान करने कि दृष्टि से की है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

6. **हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया ।**

7.**पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। आवंटन मिसल के अवलोकन से जाहिर आया कि आवंटी** अमरजी पिता कचरू, कचरी पत्नि अमरजी जाति भील को ग्राम दीवडा छोटा में मिसल नम्बर 285/10 दिनांक 06.12.2010 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा खसरा नम्बर 5915 रकबा 1बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटन किया गया। आवंटित भूमि का नामान्तरण संख्या 1832 दिनांक 03.04.2011 द्वारा गैर खातेदारी दर्ज कर नया नम्बर 6916/5915 रकबा 1बीघा 10बिस्वा बना। इसके उपरान्त आवंटी को नामान्तरण संख्या 2107 दिनांक 16.04.2015 द्वारा तहसीलदार सागवाडा के आदेश कमांक 1144 दिनांक 04.08.2014 द्वारा आवंटी को खातेदारी अधिकारी प्रदान किये गये। इस प्रकार आवंटी को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत आवंटन किया जाना व तहसीलदार द्वारा खातेदारी अधिकार दिया जाना स्पष्ट जाहिर होता है।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त/आवंटित भूमि पर स्वंय के कब्जा काश्त सम्बन्धित कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। अतः बिना किसी के आधार पर अपील प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 बिना किसी आधार पर पेश करने से अस्वीकार करते हुए खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.03. 2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

(दिनेश धाकड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर